Regarding need to ensure full implementation of provision of 74th constitutional amendment in Uttar Pradesh- laid

श्री उज्ज्वल रमण सिंह **(**इलाहाबाद**) :** भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 के अंर्तगत संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा भाग 9-क, अनुच्छेद 243त से 243ह भारत देश के नगरों में लोकतांत्रिक प्रणाली सुदृढ़ करने के लिये 74 वां संविधान संशोधन पारित किया गया जो कि उत्तर प्रदेश में पूर्णतया लागू नहीं किया गया जबकि अन्य प्रदेशों में लागू है । जिसके कारण नगर निकायों के महापौर/अध्यक्षों, पार्षदों/सभासदों आदि को जनप्रतिनिधि का दर्जा प्राप्त नहीं है और वेतन यात्रा-भत्ता भी नहीं मिलता । अतः अन्य राज्यों की तरह उ0 प्र0 के नगर निकायों को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिये 74 वां संविधान संशोधन पूर्णतः एवं प्रभावी ढंग से लागू किया जाये ।